मुकदमा नंबर- 168/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.07.2024	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 5 व 6 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 7 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से जवाब पूर्व में प्राप्त।

विप्रार्थी संख्या 5 व 6 के वकील की बहस है कि विवादित भूमि ग्राम पंऊ तहसील सिवाना खसरा संख्या 250/22 रकबा 03.0837 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की हैं। एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक भाग पर हक निहित होता, किन्तु किसी एक पक्ष को, उसके स्थगन के जरिये उसके खातेदारी हकों के उपयोग–उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। विप्रार्थी संख्या 5 व 6 भी प्रार्थी के साथ विवादित भूमि के सहखातेदार होने से अपने हिस्से की भूमि पर माफिक बाहमी बंटवाड़ा एवं कब्जाकाश्त विकास कार्य करने की अधिकारिता रखते है तथा विप्रार्थी संख्या 5 व 6 विवादित भूमि में सहखातेदार होने से उन्हें जरिये स्थगन पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। चूकिः प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 5 व 6 ने वाद मूल वाद में जरिये राजीनामा सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी करवा ली है।

हमने विप्रार्थी संख्या 5 व 6 की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन एवं तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 5 व 6 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा माफिक हक हिस्सा अपनी भूमि का विकास एवं उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है तथा सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक होता है और अपने वास्तविक हिस्सों की सीमा तक भूमि का बेचान किये जाने से उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थगन के जरिये अपने हिस्से की भूमि का विकास करने से रोका जा सकता है। प्रथम दृश्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु दोनों पक्षों पर समान रूप से लागु होते है और किसी एक पक्ष को उसके स्वत्व के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है।

लिहाजा न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम [illegible] दिनांक 19.12.2023 को निरस्त किया जाकर आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर [illegible] रद्द की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:11:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना